

प्रेस नोट

दिनांक 04-10-2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 03.10.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की / चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कहोबाडुमरियाडीह मुख्य मार्ग, दलपतपुर मोड़, बहद ग्राम नेवादा कुन्दुरखा के पास से 01 अभियुक्त आलोक सिंह पुत्र कृष्णदेव सिंह निवासी ग्राम गौरवा कानूनगो, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- आलोक सिंह पुत्र कृष्णदेव सिंह निवासी ग्राम गौरवा कानूनगो, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 217/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- अदद देशी तमंचा 315 बोर

02- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

03- 01 अदद मोटरसाइकिल CD डिलक्स नं0 UP 43 N 5540 (धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01- उ0नि0 सुधीर यादव, चौकी प्रभारी, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा

02- हे0का0 रूपेश सिंह

03- हे0का0 मनीराम निषाद

04- का0 आदित्य यादव

05- का0 मो0 तस्लीम

06- का0 शिवम मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी माल बरामद

कार्यवाही:-

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० -215/2026, धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों— 1. ननकन व 2. लवलेस उर्फ बोसू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात व ₹1,100/- नकद बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.10.2026 को थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत निवासी किनकी शिवरतन पुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 01/02.10.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर बक्सा व सूटकेस से ₹5,000/- नकद व जेवरात चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10.04.2026 थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों 1. ननकन व 2. लवलेश उर्फ बोसू निवासीगण ग्राम किनकी, कालोनीपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से 01 जोड़ी चांदी की पायल, 04 अदद चांदी के बिछिया तथा चोरी का माल बेचकर बचे हुए ₹1,100/- नकद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. ननकन पुत्र स्व० रामप्रीत सोनकर निवासी किनकी, कालोनीपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
02. लवलेश उर्फ बोसू पुत्र स्व० रामप्रीत सोनकर निवासी ग्राम किनकी, कालोनीपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-215/2026 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

1. 01 जोड़ी चांदी की पायल
2. 04 अदद चांदी के बिछिया
3. ₹1,100/- नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 01.उ०नि० बैरिस्टर सिंह
- 02.उ०नि० नारदमुनी कन्नौजिया
- 03.उ०नि० रवीन्द्र तिवारी
- 04.हे०का० ज्ञानदेव यादव
- 05.का० अभिनय पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.10.2026

ई रिक्शा चालक की सीट से मोबाइल फोन चोरी करने वाले-02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2026 को वादी केशवहादुर सिंह पुत्र भगोले सिंह, निवासी ग्राम शिवबक्शपुरवा बिबियापुर अवधूतनगर, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली करनैलगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि वह ई रिक्शा लेकर बाबागंज से- कर्नलगंज जा रहे थे। बाबागंज बंधा के पास सड़क के किनारे ईखकर पेशाब करने रिक्शा खड़ा कर मोबाइल फोन सीट पर र- लगे, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल HF Deluxe नं0 UP 40 BS 8117 पर सवार दो व्यक्ति आए और ईरिक्शा की सीट - पर रखा उनका रियलमी मोबाइल फोन लेकर भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली करनैलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 03.10.2026 को थाना कोतवाली करनैलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों व चोरी गए माल की तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सटीक सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम झलरिया से आगे बढ़े बाबा से चचरी मार्ग के पास से 02 अभियुक्तों 1. राहुल पाण्डेय व 2. बलराम सिंह उर्फ अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से ई रिक्शा से चोरी किया गया-01 अदद मोबाइल फोन Realme Narzo तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल HF DELUXE नं0 UP 40 BS 8117 व ₹1,000/- नकद बरामद हुए। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि बरामद मोटरसाइकिल अभियुक्तों द्वारा थाना फखरपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी (बहराइच), जिसके संबंध में थाना फखरपुर, बहराइच पर अभियोग पूर्व से पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

.01 राहुल पाण्डेय पुत्र विद्यासागर पाण्डेय, निवासी ग्राम यादवपुरवा मटेहिया, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच।

.02 बलराम सिंह उर्फ अमन सिंह पुत्र रामबक्श सिंह उर्फ मुनेश्वर, निवासी ग्राम यादवपुरवा मटेहिया, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 588/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

1. मु०अ०सं० 414/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना फखरपुर, जनपद बहराइच।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोबाइल फोन Realme Narzo

02. 01 अदद मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE

03. ₹1,000/- नकद बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० शरद कुमार

02. हे०का० देवनाथ यादव

03. का० धीरेन्द्र कुमार

मीडिया सेल,गोण्डा।